

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 75/2019

सुरेन्द्र पुत्र उमाशंकर जाति मीणा निवासी उदपुरिया तहसील मांगरोल

.....वादी

♣ बनाम ♣

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांक: 20.09.2019

निर्णय दिनांक : 02.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 99 खसरा नं0 107 रकबा 2.08 है0, खसरा नं0 79 रकबा 1.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.14 है0 वाके ग्राम पीपल्दा तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम सुरेन्द्र के स्थान पर सुरेश कुमार दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम सुरेन्द्र पुत्र उमाशंकर है। जिसको वादी सुरेश कुमार पुत्र उमाशंकर के स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र उमाशंकर दुरुस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में सुरेन्द्र पुत्र उमाशंकर दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में सुरेश कुमार पुत्र उमाशंकर के स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र उमाशंकर दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम सुरेश कुमार पुत्र उमाशंकर के स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र उमाशंकर दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 20.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक-राजस्व/2021/700 दिनांक 24.08.2021 के अनुसार सुरेश कुमार पुत्र उमाशंकर जाति मीणा को सुरेन्द्र कुमार पुत्र उमाशंकर जाति मीणा के नाम से ही जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति को सुरेन्द्र के नाम से ही जाना जाता है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त व्यक्ति का नाम सुरेश कुमार पुत्र उमाशंकर जाति मीणा के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र उमाशंकर जाति मीणा साठे देह दर्ज किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं व प्रेमशंकर पुत्र उमाशंकर जाति मीणा निवासी उदपुरिया के आधार पर आराजी खाता संख्या 99 खसरा नं0 107 रकबा 2.08 है0, खसरा नं0 79 रकबा 1.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.14 है0 वाके ग्राम पीपल्दा तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम सुरेश कुमार पुत्र उमाशंकर मीणा के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार पुत्र उमाशंकर जाति मीणा दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ-साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 कोर्ट केम्प उदपुरिया मजमेंआम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल